

NO/PA/Dir./P. H./

2208 कमांक प.1(33)चिस्वा/2/94/पार्ट-5

जयपुर, दिनांक : 22.03.2011

28 MAR 2011

आ दे श

D.M. & S.P.H.)

-Add. (9)

25/3/11

ATC

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.03.2010 एवं 20.10.2010 की निरन्तरता में समेकित वेतन पर कार्यरत 71 चिकित्सकों एवं अनुबन्ध पर कार्यरत 55 चिकित्सकों कुल 126 चिकित्सकों की अनुबन्ध सेवा अवधि दिनांक 31.03.2011 को समाप्त होने के पश्चात अनुबन्ध सेवा अवधि नवीन अनुबन्ध करने की शर्त पर दिनांक 30.09.2011 तक अथवा नियमित चिकित्सा अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, इस शर्त के साथ बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि विभाग में प्रक्रियाधीन 540 चिकित्सा अधिकारियों के पदों की भर्ती के पश्चात इन चिकित्सकों को स्वतः ही सेवा से हटा दिया जावेगा।

ये आदेश वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी.संख्या 131100117 दिनांक 18.03.2011 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,

E-1 -

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 4- उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- 6- समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
- 7- निदेशक, (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये-राज. जयपुर
- 8- समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन राजस्थान
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
- 10- समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान
- 11- रिक्षित पत्रावली

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।

कमांक:- रांस्था/चि0अ0/एटी/प.8/11/316

दिनांक:- 31/03/11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
- 2 समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
- 2 समस्त प्रिंसीपल, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
- 3 समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
- 4 समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये/समस्त कोषाधिकारी राजस्थान।
- 5 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
- 6 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय।
- 7 निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर